रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99



सी.जी.-डी.एल.-अ.-23112022-240516 CG-DL-E-23112022-240516

#### असाधारण EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i) PART II—Section 3—Sub-section (i)

#### प्राधिकार से प्रकाशित PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 753]

नई दिल्ली, बुधवार, नवम्बर 23, 2022/अग्रहायण 2, 1944

No. 753]

NEW DELHI, WEDNESDAY, NOVEMBER 23, 2022/AGRAHAYANA 2, 1944

### सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

## अधिसूचना

नई दिल्ली, 22 नवम्बर, 2022

सा.का.िन. 844(अ).—केन्द्रीय मोटर यान नियम, 1989 का और संशोधन करने के लिए कितपय नियमों का प्रारुप, मोटर यान अधिनियम, 1988 (1988 का 59) की धारा 212 की उपधारा (1) के अधीन यथा अपेक्षित, भारत सरकार के सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की अधिसूचना द्वारा भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उपखंड (i) में अधिसूचना सं. सा.का.िन. 503(अ), तारीख 1 जुलाई, 2022 द्वारा प्रकाशित किया गया था, जिसमें उन सभी व्यक्तियों से, जिनके उनसे प्रभावित होने की संभावना है, उस तारीख से, जिसको उक्त अधिसूचना में अंतर्विष्ट राजपत्र की प्रतियां जनता को उपलब्ध करा दी गई थीं, तीस दिन की अवधि की समाप्ति के पूर्व आक्षेप और सुझाव आमंत्रित किए गए थे;

और, उक्त राजपत्र अधिसूचना की प्रतियां जनता को 1 जुलाई, 2022 को उपलब्ध करा दी गई थी ;

और, केंद्रीय सरकार द्वारा उक्त प्रारूप नियमों के संबंध में प्राप्त आक्षेपों और सुझावों पर सम्यक रुप से विचार कर लिया गया है :

अत:, अब, केन्द्रीय सरकार, मोटर यान अधिनियम, 1988 (1988 का 59) की धारा 110 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय मोटर यान नियम, 1989 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात्:-

- 1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ:- (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम केन्द्रीय मोटर यान (उन्नीसवां संशोधन) नियम, 2022 है।
  - (2) इन नियमों में अन्यथा उपबंधित के सिवाय, ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।
- 2. केंद्रीय मोटर यान नियम, 1989 में, नियम 115छ में, -

7809 GI/2022 (1)

- (क) उप-नियम (1) में, -
  - (i) "क्वाड्रिसाइकिल के अलावा" शब्दों के पश्चात् "और शस्त्रवाहक यान" शब्द अंत:स्थापित किए जाएंगे;
  - (ii) "23 अप्रैल, 2015" अंकों, अक्षरों और शब्द के पश्चात् "समय-समय पर यथासंशोधित" शब्द अंत:स्थापित किए जाएंगे:
- (ख) उप-नियम (3) में "द इंटरनेशनल सेंटर फॉर ऑटोमोटिव टैक्नोलोजी (आईसीएटी), मानेसर" शब्दों, कोष्ठकों और अक्षरों के स्थान पर "नियम 126 के अधीन पदाविहित कोई अभिकरण" शब्द रखे जाएंगे:
- (ग) उप-नियम (3) के पश्चात् निम्नलिखित उपनियम रखे जाएंगे, अर्थात् :-
  - "(4) एम2, एम 3 और एन2 यान श्रेणी का प्रत्येक विनिर्माता या आयातकर्ता, टिपर्स और शस्त्रवाहक यानों के सिवाय, जो नियम 126 के अधीन अनुमोदित प्रकार हैं, भारत में विक्रय के लिए निर्मित या आयातित सकल साढ़े तीन टन (3500 कि.ग्रा.) से 12 टन (12000 किग्रा.) तक के भार वाले यानों का 1 अप्रैल, 2023 से निरंतर गित ईंधन खपत मानक का परीक्षण किया जाएगा और प्रत्येक विनिर्माता या आयातकर्ता ऊर्जा संरक्षण अधिनियम, 2001 के अधीन अधिसूचित ईंधन खपत लक्ष्य का अनुपालन करेगा जिसे भारत सरकार के विद्युत मंत्रालय की समय-समय पर यथासंशोधित अधिसूचना संख्यांक का.आ. 2540 (अ), तारीख 16 जुलाई, 2019 और का.आ. 1464 (अ) तारीख 29 मार्च, 2022 द्वारा अधिसूचित किया गया है।
  - (5) एम 3 और एन2 यान श्रेणी का प्रत्येक विनिर्माता या आयातकर्ता, टिपर्स और शस्त्रवाहक यानों के सिवाय, जो नियम 126 के अधीन अनुमोदित प्रकार हैं, भारत में विक्रय के लिए निर्मित या आयातित सकल 12 टन (12000 किग्रा.) और उससे ऊपर तक) के भार वाले यानों का 1 अप्रैल, 2023 से निरंतर गित ईंधन खपत मानक का परीक्षण किया जाएगा और प्रत्येक विनिर्माता या आयातकर्ता ऊर्जा संरक्षण अधिनियम, 2001 के अधीन अधिसूचित ईंधन खपत लक्ष्य का अनुपालन करेगा जिसे भारत सरकार के विद्युत मंत्रालय की समय-समय पर यथासंशोधित अधिसूचना संख्यांक का.आ. 2670 (अ), तारीख 16 अगस्त, 2017 और का.आ. 3215 (अ) द्वारा संशोधित तारीख 21 सितंबर, 2020 और संख्यांक का.आ. 1465 (अ), तारीख 29 मार्च, 2022 द्वारा अधिसुचित किया गया है।
  - (6) उप-नियम(4) और उप-नियम (5) के प्रयोजनों के लिए, -
- (i) उत्पादन की अनुरुपता की प्रक्रिया निरंतर गति ईंधन खपत मानदंडों के अनुपालन को सत्यापित करने के लिए एआईएस:149 में अधिकथित, समय-समय पर यथासंशोधित, के अनुसार होगी; और
- (ii) उपनियम (3) में निर्दिष्ट अभिकरण यान विनिर्माताओं द्वारा एकत्र, जांच और रिपोर्ट किए गए आंकड़ों को वार्षिक रुप से केंद्रीय सरकार को प्रस्तुत करेगा ।" ।

[फा. सं. आरटी-11035/03/2016-एमवीएल(भाग-1)]

महमूद अहमद, अपर सचिव

टिप्पण: मूल नियम, भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उपखंड (i) में अधिसूचना सं. सा.का.िन. 590(अ), तारीख 2 जून, 1989 द्वारा प्रकाशित किए गए थे और अधिसूचना संख्यांक सा.का.िन. 809(अ), तारीख 9 नवम्बर, 2022 द्वारा अंतिम बार संशोधित किए गए।

# MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS NOTIFICATION

NEW Delhi, the 22nd November, 2022

**G.S.R. 844(E)**.—Whereas, the draft of certain rules further to amend the Central Motor Vehicles Rules, 1989 was published, as required under sub-section (1) of section 212 of the Motor Vehicles Act, 1988 (59 of 1988), *vide* notification of the Government of India in the Ministry of Road Transport and Highways number G.S.R. 503(E), dated the 1<sup>st</sup> July, 2022, in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i), inviting objections and suggestions from all persons likely to be affected thereby before the expiry of the period of thirty days from the date on which copies of the official Gazette containing the said notification were made available to the public;

And whereas, copies of the said Gazette notification were made available to the public on the 1<sup>st</sup> July, 2022;

And whereas, objections and suggestions received from the public in respect of the said draft rules have been duly considered by the Central Government;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by section 110 of the Motor Vehicles Act, 1988 (59 of 1988), the Central Government hereby makes the following rules further to amend the Central Motor Vehicles Rules, 1989, namely:-

- **1. Short title and commencement** (1) These rules may be called as the Central Motor Vehicles (Nineteenth Amendment) Rules, 2022.
- (2) Save as otherwise provided in these rules, they shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.
- 2. In the Central Motor Vehicles Rules, 1989, in rule 115-G, -
  - (a) in sub-rule (1),-
    - (i) after the words "other than quadricycles". the word "and armoured vehicles" shall be inserted;
    - (ii) after the figures, letters and word "23<sup>rd</sup> April, 2015", the word ",as amended from time to time" shall be inserted;
  - (b) in sub-rule (3), for the words, brackets and letters "the International Centre for Automotive Technology (ICAT), Manesar", the words "an agency designated under rule 126" shall be substituted;
  - (c) after sub-rule(3), the following sub-rules shall be inserted, namely:-
    - "(4) Every manufacturer or importer of M2, M3 and N2 vehicle category, except Tippers and armoured vehicles, which are type approved under rule 126, with gross vehicle weight between three and a half tonnes (3,500 kilograms) and twelve tonnes (12,000 kilograms), manufactured or imported for sale in India, shall, on and from the 1<sup>st</sup> day of April, 2023, be tested for Constant Speed Fuel Consumption standard and comply with the Fuel consumption target, notified under the Energy Conservation Act, 2001 *vide* notification of Government of India in the Ministry of Power number S.O. 2540(E), dated the 16<sup>th</sup> July, 2019 and number S.O. 1464(E), dated the 29<sup>th</sup> March, 2022, as amended from time to time.
    - (5) Every manufacturer or importer of M3 and N2 vehicle category, except Tippers and armoured vehicles, which are type approved under rule 126, with gross vehicle weight of twelve tonnes (12,000 kilograms) and above, manufactured or imported for sale in India, shall on and from the 1<sup>st</sup> day of April, 2023, shall be tested for Constant Speed Fuel Consumption standard and comply with the Fuel consumption target, notified under the Energy Conservation Act, 2001 *vide* notification of the Government of India in the Ministry of Power number S.O. 2670(E), dated the 16<sup>th</sup> August 2017, amended by number S.O. 3215(E), dated the 21<sup>st</sup> September, 2020 and number S.O. 1465(E), dated the 29<sup>th</sup> March, 2022 as amended from time to time.
    - (6) For the purposes of sub-rules (4) and (5),-
  - (i) the procedure for Conformity of Production for verifying compliance to Constant Speed Fuel Consumption Norms shall be as laid down in AIS: 149, as amended from time to time; and
  - (ii) the agency referred to in sub-rule (3) shall collect, examine and report the data submitted by the vehicle manufacturers annually to the Central Government.".

[F. No. RT-11035/03/2016-MVL( Part-1)]

MAHMOOD AHMED, Addl. Secv.

**Note :** The principal rules were published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i) vide notification number G.S.R. 590(E), dated the 2<sup>nd</sup> June, 1989 and last amended vide notification number G.S.R. 809(E) dated the 9<sup>th</sup> November, 2022.